



गजट नं० एल. डब्ल्यू. एन. पी. 561

साहसंस् नं० एल. पी०-41

साहसंस् ट. पोस्ट एंड टेलिग्राफ्स

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 मार्च, 1990

फाल्गुन 24, 1911 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चीनी मिलों का अनुभाग--2

संख्या 667 एस.ओ. 118-6-71-88

लखनऊ, 15 मार्च, 1990

अधिसूचना

गजट नं०--9

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या-यू०ओ० 402 (II)/12-सी-1-76 दिनांक 6 अगस्त, 1977 में गठित प्राधिकारी, एतद्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली प्रस्तावित है--

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1990

1-- (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1990 का हिस्सा होगी।

(2) यह गजट में प्रकाशन के तत्पश्चात् दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 21
का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988 में, विनियम 21 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उप-विनियम (1) के न्याय पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम 2 ख दिया जायगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

वर्तमान उपविनियम (1)

(1) कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त होगा।

परन्तु किसी कलण्डर माह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अन्तिम दिन को सेवा निवृत्त होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम (1)

(1) कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा-निवृत्त होगा।

परन्तु किसी कलण्डर माह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अन्तिम दिन को सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु यह और कि निवृत्त प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी कर्मचारी को (चाहे वह अस्थायी हो अथवा स्थायी) तीन मास की नोटिस देकर अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर बिना कोई कारण बताए, उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है अथवा ऐसा कर्मचारी पैंतालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या संघ के अधिष्ठान के अधीन बीस वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की नोटिस देकर स्वेच्छया सेवा निवृत्त हो सकता है।

आज्ञा से,

अखण्ड अताप सिंह,

सचिव,

चीनी उद्योग एवं ग्रामा विकास विभाग

सभा

प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ

लिमिटेड, लखनऊ।